न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 54 / 2023

प्रार्थी

1. अशोक कुमार पुत्र भीयाराम जाति कुम्हार निवासी पटेलनगर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. हरेन्द्र पुत्र चैनाराम जाति कुम्हार निवासी पटेलनगर तहसील बिलाडा
2. भूमिधारी तहसीलदार बिलाडा।
3. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक शाखा बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(3)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता।

अप्रार्थी सं. 2 – सरकारी पैरोकार।

अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

:: आदेश :: **दिनांक** 13/08/24

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 एक ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर के मूल निवासी है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम पटेलनगर बिलाडा की सरहद में प्रार्थी एवं अन्य की तथा अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1566 रकबा 1.2863 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1567 रकबा 1.4238 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1574 रकबा 0.7766 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.9789 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1578 रकबा 1.2135 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1581 रकबा 1.3591 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1582 रकबा 1.6827 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1585 रकबा 1.2135 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1587 रकबा 1.2863 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1948 रकबा 1.3349 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1960 रकबा 0.9384 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1964 रकबा 0.5339 हेक्टयर, खसरा नम्बर 1967 रकबा 0.

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

6068 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1974 रकबा 1.2135 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1977 रकबा 0.2751 हैक्टयर स्थित है। उक्त भूमि वक्त सैटलमेंन्ट के समय से शिवजी, भीया पिसरान परबू कौम कुम्हार बाकरेचा निवासी सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज थी। शिवजीराम पुत्र परबूराम के कोई पुत्र नहीं था केवल चार पुत्रियां है जिसमें नाथीदेवी, बायादेवी, धापूदेवी व भूरी देवी है जिसमं नाथी देवी व बायादेवी का देहान्त हो चुका है धापूदेवी लकवे से ग्रस्ति है एक पुत्री भुरी देवी जीवित है। अप्रार्थी सं. 1 हरेन्द्र पुत्र चैनाराम जाति कुम्हार निवासी पटेलनगर का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं था बावजूद शिवजीराम पुत्र परबूराम की उपरोक्त भूमि में 1/2 हिस्स भूमि को हडपने की नियत से षडयंत्र रच कर काल्पनिक दस्तावेज के अनुसार शिवजीराम पुत्र पाबूराम का वादग्रस्त भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि को अपने नाम करवा दी जिसका पता शिवजीराम की पुत्रियों नाथीदेवी, बायादेवी, धापूदेवी व भूरी देवी को चलने पर नाथीदेवी व बायादेवी को सदमा पहुच गया एंव इनके हक हिस्से की भूमि को कूट रचित दस्तावेज के जरिये अप्रार्थी सं. के नाम से करवा देने के कारण नाथी देवी व बायादेवी का सदमा में मौत हो गई तथा धापूदेवी वर्तमान में सदमा के कारण लकवा से ग्रस्ति है जो जिन्दगी व मौत से जूझ रही है क्योकि अप्रार्थी सं. 1 हरेन्द्र पुत्र चैनाराम द्वारा काल्पनिक दस्तावेजों के आधार पर समस्त भूमि को अपने नाम करवा दी गई थी जिसका पता चलने पर एक अपील सं. 05/2023 अशोक कुमार बनाम सरपंच ग्राम पंचायत हरियाढाणा व अन्य के विरूद्ध माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.09.2023 को नियत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम पटेल नगर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1566 रकबा 1.2863 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1567 रकबा 1.4238 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1574 रकबा 0.7766 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.9789 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1578 रकबा 1.2135 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1581 रकबा 1.3591 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1582 रकबा 1.6827 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1585 रकबा 1.2135 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1587 रकबा 1.2863 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1948 रकबा 1.3349 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1960 रकबा 0.9384 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1964 रकबा 0.5339 हेक्टयर, खसरा नम्बर 1967 रकबा 0.6068 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1974 रकबा 1.2135 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1977 रकबा 0.2751 हैक्टयर में अप्रार्थी सं. 1 के नाम से 1/2 हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण सं. 340 निरस्त नही हो जाता है तब तक अप्रार्थी सं. 1 के 1/2 हिस्से की भूमि का कब्जा अप्रार्थी सं. 2 रिसीवर नियुक्त किया जाकर सुपुर्द किया जावें।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 की ओर श्री राजेन्द्र कुमार पटेल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रारम्भिक आपतिया पेश की जो संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी का यह प्रार्थना बिना वाद के पेश किया है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज करने योग्य भी नहीं था। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र बिल्कुल ही वेग, निराधार पेश किया जो खारिज योग्य है। विधि अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी को पेश करने का अधिकार भी नहीं है। अतः प्रारम्भिक आपतिया पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चे खारिज फरमावें।

अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपतियों का प्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का पद 1 गलत होने से अस्वीकार है उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके प्रकरण सं. 05/2023 है। पद सं. 2 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिल्कुल सही तथा कानूनी तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रकरण सं. 05/2023 में जो खसरान अंकित है वो पहले छल कपट से मांगीलाल पुत्र भीयाराम ने अपने नाम करवाकर फिर सुखीदेवी पुत्री धुलाराम को हस्तान्तरण कर दिया तथा सुखीदेवी द्वारा हस्तान्तरण हरेन्द्र पुत्र चैनाराम को कर दिया गया। फिर हरेन्द्र द्वारा बिना विभाजन उक्त खसरा नम्बर में नया टयूबवेल करवाकर बिजली कनेक्शन प्राप्त कर लिया तथा उक्त खसरान की भूमि हडपने की नियत से बैक एचडीएफसी शाखा बिलाडा से ऋण लेकर निलाम करवाने की योजना बना रहा है। जिसमं मूल खातेदार शिवजीराम पुत्र प्रभुराम की पुत्रियों का हक समाप्त होने की पूर्ण संभावना को देखते हुए समस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। पद सं. 3 गलत होने अस्वीकार है। उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी वादी है वादी को वाद के साथ प्रार्थना पत्र पेश करने का पूर्ण रूप से अधिकार है अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपतिया निराधार एवं काल्पनिक है इसी आधार पर आपति प्रार्थना पत्र खारजि फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह सामने आया है कि अप्रार्थी अधिक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को बिना वाद के पेश होना बताया है जिसके प्रतिउत्तर में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली 05/2023 का हवाला दिया गया। पत्रावली का 05/2023 का अवलोकन करने पर पाया गया कि पत्रावली 05/2023 अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 से संबंधित है जिसका इस प्रार्थना पत्र से कोई संबंध नहीं होना पाया

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा गलत पत्रावली का हवाला दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया तथा बिना वाद के प्रार्थना पत्र का कोई अस्तित्व नही होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 13/03/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा